भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3636

जिसका उत्तर सोमवार, 10 अगस्त, 2026/19 श्रावण, 1948 (शक)को दिया गया

ओपीएस को बहाल करना

†3636. श्री आदित्य यादव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की ओर से पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल करने की बढ़ती मांगों के बारे में केंद्र सरकार का आधिकारिक रुख, वित्तीय मूल्यांकन और नीतिगत विश्लेषण क्या है;

(ख) कर्मचारी संघों द्वारा वर्तमान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में चिन्हित की गई मुख्य संरचनात्मक कमियां, बाजार के जोखिम और एन्युइटी (वार्षिकी) की कमी क्या है;

(ग) क्या राज्य के वित्त पर बोझ डाले बिना कर्मचारियों को महंगाई संबद्ध निश्चित न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए एनपीएस में संशोधन करने के उद्देश्य से किसी उच्च-स्तरीय समीक्षा समिति का गठन किया गया है और यदि हां, तो इसकी रिपोर्ट की स्थिति क्या है; और

(घ) केंद्रीय कर्मचारियों के योगदान से पेंशन निधि नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि जमा हुई है?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (ग): सरकारी राजकोष पर ओपीएस के अवहनीय राजकोषीय दायित्व के कारण, सरकार ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को समाप्त कर दिया था। राज्यों में पुरानी पेंशन योजना की बहाली विशेष रूप से राज्य के नीतिगत विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है। तथापि, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने अपनी हाल की राज्य वित्त लेखा परीक्षा रिपोर्टों में राज्यों द्वारा ओपीएस को वापस करने के राजकोषीय भारों पर प्रकाश डाला है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) एक परिभाषित अंशदान-आधारित योजना है जिसे 01.01.2004 को या उसके बाद सेवा में शामिल होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों (सशस्त्र बलों को छोड़कर) के लिए शुरू किया गया था। ऐसे कर्मचारियों के लिए पेंशन संबंधी लाभों में सुधार करने के उद्देश्य से, एनपीएस को संशोधित करने के उपाय सुझाने के लिए तत्कालीन वित्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। हितधारकों के साथ समिति द्वारा किए गए विचार-विमर्श के आधार पर, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को 01.04.2025 से एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में पहले ही लागू कर दिया गया है, जिसका उद्देश्य एनपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद मुद्रास्फीति से संबंधी परिभाषित लाभ प्रदान करना है, जिसके अंतर्गत न्यूनतम 10,000 रू. प्रति माह की सुनिश्चित पेंशन का प्रावधान किया गया है। यूपीएस एक कोष-आधारित भुगतान प्रणाली है, जो कर्मचारी तथा नियोक्ता (केंद्र सरकार) दोनों द्वारा नियमित एवं समयबद्ध रूप से किए गए अंशदान के संचय और उसके निवेश पर निर्भर करती है ताकि इसी व्यवस्था के माध्यम से सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों को सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा सके।

(घ): दिनांक 26.07.2026 की स्थिति के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस के अंतर्गत प्रबंधन के तहत कुल परिसंपत्ति 3.65 लाख करोड़ रुपये है।
